न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 136 / 2024

अनवान : –

1. पुनम पत्नी आनन्द प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जगदीश पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मीमांशा चौधरी पुत्री रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. वेशेषिका पुत्री रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. शोर्य प्रताप सिंह पुत्र रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सरोज कुमारी पत्नी राय साहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 16/01/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा रोही मौजा चक 15 जेएसएन के खाता स0 26 / 26 की कुल 7.6890 भूमि सायला के मृतक पति आनन्द प्रकाश के नाम 1 / 3 हिस्सा व गैरसायल स0 1 के नाम 1 / 3 हिस्सा तथा गैरसायल स0 2 ता 5 प्रत्येक के नाम 1 / 12 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायला के पति आनन्द प्रकाश का देहान्त हो चुका है। आन्नद प्रकाश की एकमात्र वारिस सायला ही है। गैरसायल स0 1 सायला का ससुर है जो की सायल के साथ मारपीट करता है उक्त भूमि का खुर्द बुर्द करना चाहता है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि में सायला के हक हिस्सा की भूमि जब तक सायला के नाम न हो व उक्त वाद भूमि का खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रोही मौजा चक 15 जेएसएन के खाता स0 26 / 26 की कुल 7.6890 हैक्ट. भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायला मृतक आनन्द प्रकाश की पत्नी नही है। आन्नद प्रकाश का एक मात्र वारिस उसका पिता गैरसायल स0 1 है। न्यायालय हाज में एक वाद अनवानी जगदीश बनाम मीमांशा प्रकरण स0 266/2024 पेश किया गया था जिसमें सायल द्वारा मृतक आनंद प्रकाश की पत्नी बनकर पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो की दिनांक 04.12.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर वाद वादी डिक्री किया गया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आनंद प्रकाश के नाम दर्ज है जो की सायला का पति है सायला के पति आनन्द प्रकाश का देहान्त हो चुका है। आन्नद प्रकाश की एकमात्र वारिस सायला ही है। गैरसायल स0 1 सायला का ससुर है जो की सायल के साथ मारपीट करता है उक्त भूमि का खुर्द बुर्द करना चाहता है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि में सायला के हक हिस्सा की भूमि जब तक सायला के नाम न हो व उक्त वाद भूमि का खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की सायला मृतक आनन्द प्रकाश की पत्नी नही है। आन्नद प्रकाश का एक मात्र वारिस उसका पिता गैरसायल स0 1 है। न्यायालय हाज में एक वाद अनवानी जगदीश बनाम मीमांशा प्रकरण स0 266/2024 पेश किया गया था जिसमें सायल द्वारा मृतक आनंद प्रकाश की पत्नी बनकर पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो की दिनांक 04.12.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर वाद वादी डिक्री किया गया है। सायल का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। अधिवक्ता गैरसायल द्वारा न्यायालय हाजा में पूर्व में जैरकार वाद स0 466/2024 बअनवानी जगदीश बनाम मीमांशा की प्रमाणित प्रति फर्दअहकाम दिनांक 04.12.2024 के मुताबिक सायला द्वारा पूर्व वाद में भी स्वयं को आनंद प्रकाश की पत्नी मानते हुए कायम मुकाम कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर वाद वादी डिक्री किया गया है। अधिवक्ता गैरसायल द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय राजस्व [illegible] 87/2024 अनवानी पूनम बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:08 IST
Reason: SelfAttested

Ql
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जगदीश्ज्ञ के मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की अपील सायला द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2024 को खारिज किया गया है। सायला का कथन है कि वह आनंद प्रकाश की पत्नी है तथा आनंद प्रकाश की एकमात्र वारिस है लेकिन सायला द्वारा केवल कथन किया गया है अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीया के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 12.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:08 IST
Reason: SelfAttested